



# उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग


18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद-211 001 (उ0प्र0)

दिनांक-27 जुलाई, 2016

## विज्ञापित-09 (47)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति सम्बन्धी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण सम्बन्धी उपाय) (चतुर्थ संशोधन), विनियम-2016 के क्रम में आयोग द्वारा अपनी बैठक सं0- 938 दिनांक 27 जुलाई, 2016 से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) {गैर समृद्ध श्रेणियों (Non creamy layer)} के अभ्यर्थियों को सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत प्राप्तांकों में 05 प्रतिशत प्राप्तांकों की सीमा तक छूट अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(संजय सिंह)  
सचिव

  
(संजय सिंह)

सचिव/वित्त एवं लेखाधिकारी

